राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्थाई भण्डार/2018/ दिनांक :

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
राज. जयपुर।

विषय नीलामी सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा एवं कण्ड़म सामान के निस्तारण की कार्यवाही खुली बोली नीलामी के द्वारा दिनांक 25.10.18 को की जानी है। पत्र के साथ नीलामी सूचना की 10 प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि कृपया नीलामी सूचना की नियमानुसार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें। साथ ही आपके विभाग की वेवसाईड पर भी अपलोड करने का श्रम करे।

संलग्न : नीलामी सूचना की प्रतियां–10
मय सी.डी.

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकः स्थाई भण्डार/2018/364 दिनांक : 11.10.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया संलग्न नीलामी सूचना मय सूची को विभागीय वेवसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्थाई भण्डार/नीलामी/2018/364 दिनांक : 11.10.18

नीलामी सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा एवं कण्डम टंकण मशीन हिन्दी एवं अंग्रेजी जिनका विस्तृत विवरण विभागीय वेब साइट www.rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है, की खुली नीलामी द्वारा जहां है, जिस स्थिति/हालत में है निस्तारण किया जाना है। नीलामी की कार्यवाही निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन) के स्थाई भण्डार अनुभाग में दिनांक 25.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी। नीलामी किये जाने वाले सामान की अनुमानित क्रय कीमत/पुस्ताकिंत मूल्य राशि 26500/-रूपये (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ रूपये मात्र) है।

नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार है :-

1.	प्रत्येक बोली लगाने वाले को 5000/- रूपये (पॉच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होगें।
2.	अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि रोक कर शेष जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
3.	अधिकतम बोली लगाने वाले को सम्पूर्ण राशि उसी समय जमा करानी होगी।
4.	सामान जहां है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवश्यक रूप से 2 दिवस में उठाना होगा।
5.	सामान की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी, इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6.	जी.एस.टी./ कर, मालभाडा आदि सफल बोलीदाता को पृथक से जमा कराना होगा।
7.	नीलामी के समय मोबाईल का उपयोग निषेध रहेगा ।
8.	अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी छोडने अथवा नहीं छोड़ने का अधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी के पास सुरक्षीत रहेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/2018/ 365 दिनांक : 11.10.18

अनुपयोगी/नकारा एवं कण्डम सामान की सूची

क्र.सं.	सामान/सामग्री का नाम	मात्रा/नग	क्वालिटी विवरण
1	टंकण मशीन (हिन्दी)	39	लोहा
2	टंकण मशीन (अंग्रेजी)	14	लोहा
	कुल टंकण मशीन	53	

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

D:\Store J 26.06.13\Store J\Store Letter 2014 to mar.2018.doc